269 4. वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हेतु दिशा–निर्देश।

कृपया वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे के लिए दिशा–निर्देशों की एक प्रति इसके साथ संलग्न देखें। ये दिशा–निर्देश डी. पी. ई. की वेबसाइट *http://www/-dpemou.nic.in* पर भी उपलब्ध है।

2. उक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए एम ओ यू का मसौदा बनाने हेतु सी. पी. एस. ई. (धारक और सहायक कंपनियों) को सलाह दी जाए ।

3. सी. पी. एस. ई. और इसकी सहायक कंपनियों के लिए एम ओ यू दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट विवरणों के साथ–साथ अनुलग्नकों सहित वर्ष 2015–16 के लिए मसौदा एम ओ यू की एक अग्रिम प्रति अद्यतन वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना की एक प्रति आरएफएमएस पर अपलोड की जाए तो हार्ड और सॉफ्ट प्रति के साथ 1 दिसंबर, 2014 तक डी. पी. ई. को सीधे भेजनी होगी। बोर्ड के अनुमोदन के बाद में मुख्य प्रति को आरएफएमएस में इसको अपलोड़ करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से डी. पी. ई., योजना आयोग ओर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को 19 दिसंबर, 2014 को भेजा जा सकता है। सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों सहित अनुमोदित प्रतियों को एम ओ यू समझौता बैठकों की तारीख से पहले संबंधित सिंडीकेट ग्रुप के कार्य बल सदस्यों को काफी पहले सी. पी. एस. ई. के द्वारा भेजनी होगी।

गुप्त

वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हेतु दिशा–निर्देश।

1. उपयुक्तता : सभी सी. पी. एस. ई. (धारक और सहायक कंपनियों) के द्वारा बिना अपवाद के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। शीर्ष/ धारक कंपनियां प्रशासनिक मंत्रालय/ विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी जबकि सहायक कंपनियां, एक सी. पी. एस. ई. और उसके प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुरूप एम ओ यू पर अपनी–अपनी संबंधित शीर्ष/ धारक कंपनियों के साथ हस्ताक्षर करेंगी।

2. एम ओ यू से छूट : जो सी. पी. एस. ई. बंद कर दी गई है/ प्रचालन में नहीं है, जिनका समामेलित, समापन हो गया है, जो रुग्ण कंपनियां हैं और बंद कर दिए जाने के कगार पर हैं अथवा बिना पुनरुद्धार पैकेज के समामेलित कर दिया गया है, ऐसे सी. पी. एस. ई. के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय अपनी सिफारिशों के साथ एक प्रस्ताव 20 दिसंबर, 2014 तक डी. पी. ई. के पास भेजा जाएगा।

3. लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत : एम ओ यू लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए लेकिन विकासोन्मुख प्रेरणादायक होना चाहिए और ये प्रस्तावित वार्षिक योजना, सी. पी. एस. ई. के बजट और कारपोरेट योजना तथा मंत्रालय/ विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेजों (आरएफडी) के अनुरूप होने चाहिए। उनका योजना दस्तावेज अथवा वार्षिक योजना विचार–विमर्शों के दौरान में निर्दिष्ट लक्ष्यों/ उद्देश्यों को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित आवंटनों के अनुसार निर्धारण करना चाहिए। सांविधिक अथवा नियामक निकायों के निर्देश भी, यथा लागू कारक होने चाहिए। निश्चित और अनुमानित परिस्थितियों के तहत लक्ष्य अधिकतम प्राप्य होने चाहिए। आईपीओ/ एफपीओ दस्तावेजों में संभावित निवेशकों के लिए प्रकट की गई वित्तीय सूचना और पणधारकों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए।

4. वित्तीय लक्ष्य (स्थिर मापदंड) : प्रासंगिक वित्तीय मानदंडों के बुनियादी लक्ष्यों का इनके आधार पर निर्धारण करना चाहिए – (i) गत पांच वर्षों के वास्तविक पर आधारित अनुमान (कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार वित्तीय विवरणों की संशोधित अनुसूची के आधार पर पुनः बनाए), (ii) क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास का संदर्भ, (iii) आगामी वर्ष के लिए विकास दृष्टिकोण का पूर्वानुमान, (iv) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रमुख कंपनियों के साथ बेंचमार्किंग, (v) योजना आयोग/ वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित लक्ष्य। वित्तीय मानदंडों की परिभाषाएं इन दिशा–निर्देशों के अनुबंध-**I** में उल्लिखित किए अनुसार होनी चाहिए।

5. गैर–वित्तीय लक्ष्य : गैर–वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य, परिणामोन्मुख, मूर्त) होने चाहिए। गैर–वित्तीय मापदंडों के लक्ष्य किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा, जहां लागू हो, स्वतंत्र रूप से जांच योग्य होने चाहिए। सी. पी. एस. ई. के द्वारा ऐसे दस्तावेजी प्रमाण के बारे में निर्दिष्ट करना चाहिए जिन पर एम ओ यू में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत/ एजेंसी तथा निष्पादन के प्रमाण के रूप में विश्वास किया जाएगा। मापदंडों का

मूल्यांकन करने के लिए सी. पी. एस. ई. के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंतरिक दस्तावेजों को संबंधित सी. पी. एस. ई. के बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि प्रत्येक मापदंड, वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों मापदंडों के लिए दस्तावेजी प्रमाण का एक पूरा सेट सी. पी. एस. ई. के द्वारा डी. पी. ई. को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बिना, सी. पी. एस. ई. के निष्पादन का मूल्यांकन डी. पी. ई. नहीं कर पाएगा। जिन मापदंडों के लिए दस्तावेजी प्रमाण डी. पी. ई. के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अथवा उचित प्रपत्र में नहीं हैं, ऐसे मापदंडों के संबंध में सी. पी. एस. ई. के द्वारा दावा किए रेटिंग से कम से कम एक ग्रेड तक रेटिंग स्वतः ही इससे कम हो जाएगी।

6. समान एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र को अपनाने वाले सी. पी. एस. ई. के लिए वित्तीय अनुपातों ओर गतिशील/ गैर–वित्तीय मापदंडों सहित मापदंडों की कुल संख्या 14 से अधिक नहीं होनी चाहिए। *प्रक्रिया उन्मुख कार्यकलापों की अपेक्षा वस्तुपरक परिणामों की ओर ध्यान दे सकने के लिए गैर–वित्तीय मापदंडों की 8 श्रेणियों के अंतर्गत अधिकतम 2 से 3 उप–मापदंडों को वरीयता देनी चाहिए।* धारा 25 के रुग्ण और घाटा उठाने वाले, निर्माणाधीन सीपीएसई के लिए मापदंडों की संख्या, जहां तक संभव हो, 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मापदंडों पर बल दिया जाएगा।

7. ग्रुप लक्ष्य : कुछ सी. पी. एस. ई. के निष्पादन परस्पर निर्भर करते हैं क्योंकि उनके कार्य अलग–अलग मंत्रालयों/ विभागों में बंट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित सी. पी. एस. ई. के एम ओ यू लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए ताकि वे अपने निष्पादन और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार हों। मामलों का समाधान करने के लिए नियमित सिंडीकेट बैठकों के अलावा या तो सी. पी. एस. ई. की एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए अथवा संबंधित सी. पी. एस. ई., रेलवे और/ अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों, डी. पी. ई. और उनके अपने–अपने कार्य बल के सिंडीकेटों के संयोजकों की अलग–अलग बैठक (बैठकें) आयोजित की जाएं

8. लक्ष्यों को संशोधित करना : एम ओ यू पर एक बार हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद में लक्ष्यों में किसी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं है। एम ओ यू लक्ष्य बिना किसी शर्त और स्थायी होते हैं। तथापि, सी. पी. एस. ई. के नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए एम ओ यू के निष्पादन मूल्यांकन के दौरान एम ओ यू का कार्य बल क्षतिपूर्ति पर विचार कर सकता है और डी. पी. ई. को अपनी सिफारिशें दे सकता है। ऐसे मामलों पर अंतिम निर्णय एम ओ यू पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के द्वारा किया जाएगा।

9. कार्यबल/ विशेषज्ञ ग्रुप : एम ओ यू के लिए कार्यबल विशेषज्ञों का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय होता है जो वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व सी. पी. एस. ई. के वार्षिक एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण करने में और उस वर्ष के पूरा होने के बाद एम ओ यू का निष्पादन मूल्यांकन करने में एम ओ यू पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति और लोक उद्यम विभाग की सहायता करता है। वर्ष 2015–16 के लिए सी. पी. एस. ई. को 12 सिंडीकेट समूहों (ग्रुपों) में वर्गीकृत किया गया है। रुग्ण और हानि उठाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उनके अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र संबंधी सिंडीकेटों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक सिंडीकेट के एम ओ यू पर कार्यल में अधिकतम 6 सदस्य होंगे। कार्यबल को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों के 2 समूह वित्त/लेखे के लिए एक और गैर–वित्तीय मामलों के लिए दूसरा ग्रुप स्थापित किया गया है। एम ओ यू पर कार्यबल के लिए एक अध्यक्ष होगा। सिंडीकेट वार कार्यबल सदस्यों की सूची डी. पी. ई. की वेबसाइट **http://www/depenmou.nic.in** पर उपलब्ध होगी।

10. स्थायी समिति की बैठक : डी. पी. ई. ने दिनांक 10 सितंबर, 2013 के का. ज्ञा. सं. 3/10/2013–डी. पी. ई. (एम ओ यू) के द्वारा प्रत्येक सी. पी. एस. ई. के एम ओ यू लक्ष्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है, जिसमें सी. पी. एस. ई. से संबंधित कार्य करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय का संयुक्त सचिव, सी. पी. एस. ई. के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित सलाहकार (योजना आयोग), संयुक्त सचिव (एम ओ यू), सलाहकार – डी. पी. ई., निदेशक (एम ओ यू) तथा एम ओ एस पी आई के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एम ओ यू पर कार्यबल की वार्ता बैठकें से पहले एम ओ यू कार्य के महत्वपूर्ण/ प्रासंगिक मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए स्थायी समिति की बैठक भी आयोजित की जाएंगी।

11. प्रशासनिक मंत्रालय/ सी. पी. एस. ई. की भागीदारी : प्रत्येक वार्ता बैठक में प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित होने चाहिए जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो। तथापि, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए उनके कार्यों की मात्रा और महत्व के बारे में विचार करते हुए संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव

की अगुवाई में वार्ता कार्रवाई करने को वरीयता देनी चाहिए। वार्ता बैठकों के लिए सी. पी. एस. ई. दल, सीएमडी और बोर्ड स्तरीय कार्यकर्त्ताओं तक सीमित होना चाहिए।

12. कार्यबल की वार्ता पूर्व बैठक : अपने अपने सिंडीकेट के सभी सी. पी. एस. ई. और डी. पी. ई. के प्रतिनिधियों से प्राप्त मसौदा एम ओ यू पर विचार–विमर्श करने हेतु बातचीत शुरू करने से काफी पहले सिंडीकेट के प्रत्येक कार्य बल के द्वारा एक अथवा अधिक वार्ता पूर्व बैठक (बैठकें) आयोजित की जाएंगी। एम ओ यू मापदंडों को संशोधित करने ओर उनके महत्व आदि के बारे में पूछताछ और सुझाव को डी. पी. ई. के माध्यम से सी. पी. एस. ई./ प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाएगा जिसमें वार्ता बैठक से पूर्व प्रतिक्रिया हेतु उनके लिए उचित अवधि दी जाएगी। इस कार्य में सदस्य संसाधन समूह (एम आर जी) सहायता करेंगे।

13. समय – आधार : सी. पी. एस. ई. और उसकी सहायक कंपनियों की अनुलग्नकों सहित वर्ष 2015–16 के मसौदा एम ओ यू की एक अग्रिम प्रति तथा वर्ष 2015–16 के एम ओ यू दिशा–निर्देशों में यथा–विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ अद्यतन वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, कारपोरेट योजना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति 1 दिसंबर, 2014 तक हार्ड और सॉफ्ट प्रति में डी. पी. ई. को सीधे ही भेजनी चाहिए। इसे ऑन लाइन आरएफएमएस सिस्टम के माध्यम से भी प्रस्तुत करना चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बाद एम ओ यू की मुख्य प्रति 19 दिसंबर, 2014 तक प्रशासनिक विभाग के माध्यम से डी. पी. ई., योजना आयोग तथा सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास भेजनी चाहिए। इसको ऑन लाईन आरएफएमएस एम ओ यू सिस्टम पर भी डालना चाहिए। एम ओ यू वार्ता बैठकों की तारीख से काफी पहले सभी दस्तावेजों/ अनुबंधों की अनुमोदित प्रतियां संबंधित सिंडीकेट ग्रुप के कार्यबल सदस्यों के लिए सी. पी. एस. ई. के द्वारा भेजनी होंगी।

सी. पी. एस. ई. और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के बीच तथा सहायक कंपनी और शीर्ष/ धारक सी. पी. एस. ई. के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू के प्रति 25 मार्च, 2015 की लक्षित तारीख के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

संशोधित अनुसूची में सी. पी. एस. ई. के लेखांकन किए आंकड़ों (सांविधिक लेखा परीक्षा लेखों) के आधार पर वर्ष 2014–15 की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तथा गैर–वित्तीय मापदंडों की प्राप्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सी. पी. एस. ई. के बोर्ड के अनुमोदन के बाद डी. पी. ई. तथा कार्यबल सदस्यों को भेजना तथा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से वर्ष 2014–15 के लिए 31 अगस्त, 2015 की लक्षित तारीख के भीतर तथा वर्ष 2015–16 के लए 31 अगस्त की लक्षित तारीख के भीतर डी. पी. ई. (ऑन–लाइन आरएफएमएस एम ओ यू सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करनी चाहिए)।

14. मंत्रालय/ विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (धारक और सहायक कंपनियों) को यह सलाह दी जाए कि वे एम ओ यू दिशा–निर्देशों के आधार पर वर्ष 2015–16 का मसौदा एम ओ यू प्रस्तुत करें। ये दिशा–निर्देश डी. पी. ई. की वेबसाइट *http://www/dpemou.nic.in* पर भी उपलब्ध है।

गुप्त

समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी. पी. एस. ई.) के प्रबंधन के बीच वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए समझौता करने का एक करार और संविदा है और इसका अभिप्राय निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद सी. पी. एस. ई. के निष्पादन का मूल्यांकन करना है।

1. सी. पी. एस. ई. का मिशन, विजन और उद्देश्य

1.1 मिशन/ विजन

मिशन/ विजन में उद्यम के अस्तित्व और उसके कारोबार/ कार्यकलापों के लिए तर्काधार को शामिल करते हुए एक सटीक विवरण होना चाहिए। मिशन विवरण का उद्यम के द्वारा नियोजित की जा रही नई पहलों अथवा/ और उसके सक्रिय विचाराधीन पहलों को ध्यान में रखकर प्रतिपादन करना चाहिए । मिशन/ विजन में हरेक वर्ष बदलाव करने को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए।

1.2 उद्देश्य

उद्देश्य उद्यम के मिशन से जुड़े होने चाहिए और उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध होने चाहिए। इन उद्देश्यों में उद्यमों के प्रचालनों के मात्रात्मक और गुणवत्ता संबंधी; वाणिज्यिक और गैर–वाणिज्यिक; तथा स्थिर और गतिशील पहलू शामिल होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी उद्देश्यों को एम ओ यू में दर्शाया जाता है।

2. सरकार से वचनबद्धता/ सहायता

2.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सी. पी. एस. ई.) के निष्पादन का प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों की वचनबद्धता और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दी गई वास्तविक सहायता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। इसका निर्धारण करना होगा तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निष्पादन मूल्यांकन स्कोर शीट के साथ एक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के द्वारा डी. पी. ई. को (आरएफएमएस एमओयू सिस्टम पर ऑन लाइन के माध्यम से) प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी एचपीसी के द्वारा समीक्षा की जाएगी। सरकार की ओर से वचनबद्धताएं/ संभावित सहायता स्वीकृत निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रासंगिक एवं संबद्ध होनी चाहिए। इन दायित्वों का उद्यम के निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए तथा निष्पादन पर उनके प्रभाव के बारे में मूल्यांकन करना चाहिए। इन वचनबद्धताओं/ सहायता पर आधारित लक्ष्य सशर्त अथवा अस्थायी नहीं होने चाहिए। वचनबद्धताओं/ आश्वासनों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेजों (आर एफ डी) में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

2.2 स्वतंत्र निदेशकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के पदों को समय से भरने के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों की विशिष्ट वचनबद्धता को संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में शामिल किया जाएगा, जहां लागू हों।

3. निष्पादन आकलन लक्ष्य और उनका निर्धारण

3.1 निष्पादन मूल्यांकन "संतुलित स्कोर कार्ड" पहल पर आधारित होता है। इसमें "वित्तीय" और "गैर–वित्तीय" दोनों मापदंड शामिल होते हैं जिनमें प्रत्येक का 50 प्रतिशत बराबर महत्व होता है। तथापि, "रुग्ण और हानि कर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों", "धारा 25 के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों" के मामलों में वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदंडों के लिए महत्व क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होगा। निर्माणाधीन "परियोजना संबंधी मापदंडों" और "गतिशील मापदंडों" के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामलों में क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का महत्व होगा।

3.2 "घटिया निष्पादन" से "उत्कृष्ट निष्पादन" में अंतर करने की दृष्टि से 5 प्वाइंट स्केल पर एम ओ यू में 5 अलग–अलग निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए अर्थात (1) "उत्कृष्ट" (2) "बहुत अच्छा" (3) "अच्छा" (4) संतोषजनक और (5) "घटिया"।

3.3 कार्यबल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के साथ परामर्श करके उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा आदि के बीच अंतर के बुनियादी लक्ष्य एवं स्तर निर्धारित करेगा।

3.4 कार्यबल सिंडीकेटों द्वारा एम ओ यू वार्ता बैठक में मापदंडों और उनके महत्व को अंतिम रूप दिया जाएगा और संयोजक के साथ मिलकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3.5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, यथा लागू वित्तीय/ गैर–वित्तीय मापदंडों से संबंधित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों के बारे में सूचना देगा। मंत्रालय/ विभाग एम ओ यू 2015–16 भेजते समय लागू बेंचमार्कों के साथ–साथ क्षेत्र और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन के बारे में पृष्ठभूमि टिप्पणी भी देगा। कार्यबल एम ओ यू लक्ष्यों का निर्धारण करते समय बेंचमार्कों सहित इस सूचना को ध्यान में रखेगा।

वित्तीय लक्ष्य

3.6 वित्तीय शब्दों की परिभाषाएं : सभी वित्तीय शब्द अनुबंध-**I** में दी गई सूचनाओं के अनुरूप होने चाहिए।

3.7 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इस आशय का एक स्व–प्रमाण पत्र देगा कि वित्तीय मापदंडों के लक्ष्यों को प्राप्त करते समय डी. पी. ई. के एम ओ यू दिशा–निर्देशों में निर्धारित की गई परिभाषाओं और मानदंडों का सख्ती से और अनिवार्य रूप से पालन किया गया है और इनसे किसी प्रकार का अंतर नहीं किया गया है। मूल्यांकन के समय पर यदि यह पाया गया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा एम ओ यू दिशा–निर्देशों के अनुसार परिभाषाओं का पालन नहीं किया गया है, तो लोक उद्यम विभाग, एम ओ यू दिशा–निर्देशों में दी गई परिभाषाओं के अनुसार एम ओ यू उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगा।

3.8 लक्ष्य सैट वास्तविक, विकासोन्मुख और प्रेरणात्मक होना चाहिए। वे वर्ष 2015–16 के बजट के अनुरूप होने चाहिए तथा उनके अनुरूप होने चाहिए जिनको योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग और अन्य सांविधिक अथवा नियामक निकायों द्वारा यथा लागू अनुमोदित किया है। यह देखा गया है कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सुलभ लक्ष्यों के लिए अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए आगामी वर्ष के लिए

अपने अनुमानित निष्पादन को व्यवस्थित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, एम ओ यू का निष्पादन मूल्यांकन करते समय डी. पी. ई./ कार्यबल को इस प्रकार व्यवस्थित करने तथा उपलब्धियों की तुलना ग्रास (अपरिष्कृत) के कारणों के बारे में बताने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से मिलने के लिए स्वतंत्र होगा। निष्पादन, मूल्यांकन के दौरान कार्यबल उपयुक्त समायोजन कर सकते हैं ओर तदनुसार स्कोर एवं रेटिंग की सिफारिश कर सकते हैं।

3.9 वित्तीय मापदंडों के लिए बुनियादी लक्ष्य (बीटी) का निर्धारण करने के लिए, विगत 5 वर्षों की वास्तविक उपलब्धि (अनुबंध-VI क) तथा कारक यथा क्षमता और उसका विस्तार, कारोबार माहौल, कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं, सरकारी नीतियां, बाहरी कारक तथा कंपनी के विकास संबंधी पूर्वानुमान के बारे में विचार करना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों पर भी विचार करना होगा, जहां लागू हों। बुनियादी वित्तीय लक्ष्यों का, सामान्य तौर पर, पहले वर्ष की उपलब्धि अथवा लक्ष्यों की तुलना में संदिग्ध विकास का तब अनुमान लगाकर निर्धारण करना चाहिए जब तक पहले वर्ष के खराब निष्पादन न हो। खराब निष्पादन के मामलों में विगत 3 वर्षों के वास्तविक निष्पादन के औसत पर वृद्धि के बारे में विचार करते हुए वास्तविक, प्राप्ति योग्य लक्ष्य के बारे में विचार किया जा सकता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए, जिन्होंने अपना व्यवसाय हाल ही में शुरू किया है, उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुमान लगाएं जाएंगे।

गैर–वित्तीय/ गतिशील लक्ष्य

3.10 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम गैर–वित्तीय मापदंडों का चयन कर सकता है, जिनको प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के साथ परामर्श करके उसके कार्यकरण के लिए उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। तथापि निर्धारित गैर–वित्तीय लक्ष्य स्मार्ट (विशिष्ट, माप योग्य, प्राप्य और परिणामोन्मुखी) होने चाहिए। गैर–वित्तीय मापदंडों के लिए लक्ष्य किसी बाह्य एजेंसी से स्पष्ट रूप से पहचान योग्य और स्वतंत्र रूप से सत्यापन योग्य होने चाहिए, जहां लागू हो तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा उन दस्तावेजी साक्ष्य को विनिर्दिष्ट करना चाहिए, जिन पर निष्पादन के प्रमाण के रूप में तथा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के स्रोत/ एजेंसी के रूप में वे विश्वास करेंगे। आशय पारदर्शी और वस्तुपरक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।

3.11 एम ओ यू वार्ता बैठक के विचार–विमर्श के दौरान यदि, कार्यबल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र में यथा निर्दिष्ट कोई गतिशील मापदंड किसी विशेष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो कार्यबल नए मापदंड बना सकता है और उस मापदंड के प्रासंगिक शेष महत्व को तदुनसार समायोजित कर सकता है। कार्यबल के विवेक पर एक मापदंड के रूप में लेखा–परीक्षा शर्त को न्यूनीकरण लागू किया जा सकता है । साथ ही, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणी/ शर्त हो, तो बाहरी एजेंसियों के साथ परामर्श करके आंतरिक नियंत्रण मैनुअल तैयार करने/ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का क्रियान्वयन एम ओ यू मापदंडों के रूप में लागू किया जा सकता है। मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा लेखा परीक्षा शर्त को उसके वित्तीय प्रभाव के साथ, यदि कोई हो, शामिल करना चाहिए।

3.12 क्षेत्र–विशिष्ट और उद्यम–विशिष्ट मापदंड

कार्यबल उपयुक्त क्षेत्र–विशिष्ट और उद्यम विशिष्ट मापदंडों की पहचान करेगा/ तैयार करेगा तथा जहां तक जरूरी समझा गया, वहां पर प्रशासनिक मंत्रालय/ सी. पी. एस. ई. के साथ परामर्श करके महत्व को बदल सकता है तथा मापदंडों को गैर–वित्तीय मापदंडों के अधीन एक साथ मिला भी सकता है।

3.13 विकास के लिए पहलें

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन के अलावा, निर्धारण योगय वास्तविक लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की उत्पादकता और दक्षता को प्रतिबिम्बित करते हैं। कार्यबल यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एम ओ यू में वास्तविक लक्ष्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत उप–मापदंड के रूप में निर्यात संवर्धन का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए सुझाव दिया जाता है, जिनके पहले से ही वैश्विक प्रचालन कार्य हैं अथवा जहां पर उसके लिए कार्य क्षेत्र हैं।

3.14 क्षमता वृद्धि

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/ प्रशासनिक मंत्रालय अपने मिशन/ विजन संबंधी विवरण, व्यवसाय योजना और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मापदंड के रूप में क्षमता वृद्धि का चयन कर सकता है।

3.15 परियोजना प्रबंध और कार्यान्वयन

सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के द्वारा मानीटर की जा रही परियोजनाओं सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली जारी और नई परियोजनाओं को गैर–वित्तीय लक्ष्यों में शामिल करना चाहिए। वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली नई/ जारी परियोजनाओं की सूची, जिनको वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया जा सकता है, उन नई/ जारी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए।

3.16 कापेक्स

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा इसे एम ओ यू में मापदंड के रूप में शामिल किया जाता है। इस मापदंड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए शामिल किया जाता है, जिसे नकद अधिशेष में संचित किया है और क्षमता अभिवृद्धि एक जरूरत/ मांग है तथा प्रबंधन इसे आवश्यक चर के रूप में समझता है। एमएमसीसी/ पीएमओ के द्वारा मानीटर किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए यह अनिवार्य होगा।

3.17 कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) और सम्पोषणीयता

"कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सम्पोषणीयता" को "गैर–वित्तीय मापदंडों" के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसे 3 अंकों तक महत्व दिया जा सकता है।

यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी अधिनियम 2013 अथवा डी. पी. ई. के द्वारा जारी सी आर एस दिशा–निर्देशों के अनुसार निधियों को खर्च करने में असमर्थ रहता है, तो उन्हें 1 अंक तक नकारात्मक अंक देकर दंडित किया जाएगा।

3.18 अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए इच्छुक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एक "गैर–वित्तीय मापदंड" "अनुसंधान और विकास'' को शामिल किया जा सकता है । अनुसंधान और विकास आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में नहीं होता (यद्यपि इसे बाहर नहीं किया है)। इसको विनिर्माण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास पैकेजिंग, विपणन और यहां कि तक कि उपलब्ध और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के नवीनीकरण, अपनाने और अनुप्रयोग के जरिए कार्य प्रक्रियाओं सहित सभी कार्यकलापों में प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधारों के साथ लिंक करना चाहिए। न्यूनतम 3 अंक के महत्व से अनुबंध-IX में यथा सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए यह मापदंड अनिवार्य है। तथापि यदि इसे कंपनी के विकास के लिए जरूरी समझते हैं तो अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भी अनुसंधान और विकास को एक मापदंड के रूप में ले सकते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को आईआईटी जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के पास सहयोगी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुसंधान और विकास कार्य का प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा नियुक्त कम से कम दो स्वतंत्र विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन रिपोट्र को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा प्रस्तुत समग्र मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

3.19 मानव संसाधन प्रबंध (एचआरएम)

"मानव संसाधन प्रबंध" गैर–वित्तीय मापदंड के अधीन एक घटक रहता है। एचआरएम के अधीन प्रासंगिक उप मानदंडों का एचआरएम दिशा–निर्देशों से चयन करना चाहिए। विशेष तौर पर महारत्न और नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एचआरएम के अधीन एक संघटक के रूप में उत्तरोत्तर योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.20 अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देश डी. पी. ई. के एम ओ यू प्रभाग की वेबसाइट (*htte://www.dpemou.nic.in/*) पर उपलब्ध हैं। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सम्पोषणीयता पर दिशा–निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

3.21 जोखिम प्रबंधन

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/ प्रशासनिक मंत्रालय जोखिम प्रबंधन के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों का आकलन करेगा और जोखिम की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए गतिशील/ गैर–वित्तीय मापदंडों की एक उपयुक्त विस्तृत श्रेणी के तहत उप–मापदंड के रूप में जोखिम न्यूनीकरण को शामिल कर सकता है।

3.22 नैगमिक शासन का अनुपालन करने करने के लिए नकारात्मक मार्किंग करना

लोग उद्यम विभाग के दिनांक 14 मई, 2010 के का ज्ञा. सं. 18(8)/2005 – जी एम के द्वारा नैगमिक शासन पर दिशा–निर्देश जारी किए हैं। सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सेबी के दिशा–निर्देशों तथा डी. पी. ई. दिशा–निर्देशों दोनों का पालन करेंगे, जबकि गैर–सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक शासन पर डी. पी. ई. के दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना अपेक्षित होगा। नैगमिक शासन का अनुपालन न करने से नकारात्मक मार्किंग होगी तथा एम ओ यू स्कोर को निम्नलिखित तरीके से कम किया जाएगा :

क्र. सं.	वार्षिक स्कोर	ग्रेडिंग	दण्ड अंक
1	85 प्रतिशत से ऊपर	उत्कृष्ट	0
2	75 प्रतिशत से 84 प्रतिशत	बहुत अच्छा	0
3	60 प्रतिशत से 74 प्रतिशत	अच्छा	0.5
4.	50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत	संतोषजनक	0.5
5.	50 प्रतिशत से कम	निराशाजनक	1.0

यदि कोई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नैगमिक शासन की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से अथवा सीधे ही समय सीमा के भीतर डी. पी. ई. के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को "पालन न किया" के रूप में ग्रेड दिया जाएगा और उसको घटिया रेटिंग के रूप में माना जाएगा।

3.23 अन्य दिशा–निर्देशों/ विनियमों का अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक मार्किंग

क) एमएसएमई से प्राप्त करना

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा 25 अप्रैल, 2012 के अ. शा. सं. 21(1)/2011 – एम ए के द्वारा जारी किए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के आदेशों के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति का पालन करना होगा तथा पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन न करने पर 1 अंक का दंड दिया जाएगा।

ख) डी. पी. ई. दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करना

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिनांक 28 जून, 2011 और 15 सितंबर, 2014 को का. ज्ञा. सं. डी. पी. ई./14 (38)/10 – वित्त में दिए ब्यौरे के अनुसार अपने प्रशासनिक मंत्राालय/ विभाग के माध्यम से निर्धारित समय–सीमा के भीतर और विनिर्दिष्ट प्रपत्र में डी. पी. ई. के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होता है। प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित किए गए डी. पी. ई. के दिशा–निर्देशों का पालन न करने पर 1 अंक का दण्ड दिया जाएगा। यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र और मार्च 2014 और 2015 को समाप्त हुए वर्ष की भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की टिप्पणियों (यदि कोई हो) के बीच कोई असंगति पायी जाती है, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 1'(एक) अंक कम करके' दण्डित किया जाएगा।

ग) सीएसआर दिशा–निर्देशों का पालन न करना

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा अधिनियमों, नियमों तथा इस संबंध में डी. पी. ई. के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका अनुपालन न करने पर एम ओ यू मूल्यांकन के समय पर 1 अंक का दण्ड दिया जाएगा।

घ) अन्य का अनुपालन न करना

लोक उद्यमों के सर्वेक्षण के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने, एमओएसपीआई की वेबसाइट आदि पर उनके आंकड़ों को अद्यतन करने, तथा गंभीर मामलों में नियामकों की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने सहित सरकार के किसी निर्देश का अनुपालन न करने पर अनुपालन न करने की मात्रा और गंभीरता के आधार पर 1 अंक तक दण्ड दिया जाएगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के द्वारा सरकार के निर्देशों तथा नियामकों की अपेक्षाओं (अनुबंध VIII) का अनुपालन करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होगा।

4. मसौदा एम ओ यू के साथ अनुलग्नक

4.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा एम ओ यू दिशा–निर्देशों में उल्लिखित सभी उपबंधों/ दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक प्रपत्र में मसौदा एम ओ यू लोक उद्यम विभाग और प्रासंगिक सिंडीकेट के कार्यबल के सदस्यों के लिए संलग्न करने चाहिए।

4.2 वर्ष 2015–16 के लिए एम ओ यू लक्ष्यों तथा अगले दो वर्षों के लिए अनुमानों सहित पिछले 5 वर्षों के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मुख्य वित्तीय सूचक *अनुबंध -VI-क* के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए। गत 2 वर्षों के गैर–वित्तीय लक्ष्य तथा अगले 2 वर्षों में संभावित उपलब्धियों से संबंधित सूचना *अनुबंध VI-ख* के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 विभिन्न क्षेत्रों के लिए एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र

सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा (धारा 25 की कंपनियों, रुग्ण/ हानि उठा रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और निर्माणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) समान प्रपत्र (अनुबंध-II) में दिए प्रासंगिक मापदंडों का चयन करना चाहिए। धारा 25 की कंपनियों, रुग्ण/ हानि उठा रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और निर्माणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम क्रमशःअनुबंध-III, अनुबंध-IV और अनुबंध-V में दिए प्रपत्र को स्वीकार करेंगे।

4.4 डी. पी. ई. के द्वारा जारी की गई एम ओ यू 2014–15 पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ एम ओ यू वार्ता बैठकों (2014–15) के विचार–विमर्श का सारांश रिकार्ड (एसआरडी) कार्यवृत्त मसौदा एम ओ यू 2014–15 के साथ संलग्न करना चाहिए।

4.5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा कारपोरेट योजना, वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट तथा सितंबर 2014 तक की अवधि के समीक्षा किए गए वित्तीय परिणामों की अद्यतन प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। इसी तरह, दिसंबर, 2014 को समाप्त हुई तिमाही तक की निष्पादन, वार्ता बैठकों से पूर्व/ दौरान उपलब्ध कराना चाहिए।

5. एम ओ यू पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया

5.1 एम ओ यू वार्ता बैठकों के कार्यवृत्त पर आधारित संशोधित एम ओ यू को एम ओ यू के हस्ताक्षर से पूर्व डी. पी. ई. के द्वारा प्रमाणीकरण हेतु सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (धारक और सहायक कंपनियों) के द्वारा अपने–अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के माध्यम से भेजना चाहिए।

5.2 वर्ष 2015–16 के लिए एम ओ यू पर समय से हस्ताक्षर करना : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के बीच तथा सहायक कंपनी और शीर्ष/ धारक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू की प्रति 25 मार्च, 2015 की लक्ष्य तारीख के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

6. एम ओ यू मूल्यांकन 2014–15 और 2015–16

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एम ओ यू का मूल्यांकन एम ओ यू लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर वर्ष के अंत में किया जाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 31 अगस्त, 2015 की लक्ष्य तारीख के भीतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड के अनुमोदन के बाद तथा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभागों के माध्यम से लेखा परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2014–15 की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें लोक उद्यम विभाग तथा सिंडीकेट ग्रुप के कार्यबल के सदस्य के लिए प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा एम ओ यू में उपलब्ध कराए अनुसार निष्पादन के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंतरिक दस्तावेजों को संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बोर्ड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

6.2 कार्यबल की सहायता और विशेषज्ञता से एम ओ यू पर हस्ताक्षर करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद में लोक उद्यम विभाग, उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के एम ओ यू स्कोर तथा रेटिंग के परिणाम को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करता है। कार्यबल के द्वारा किए गए अनुमोदन को उच्च अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा एक बार अनुमोदन दे देने पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का संयुक्त स्कोर और रेटिंग अंतिम बन जाती है।

6.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लेखा परीक्षा किए गए आंकड़ों (सांविधिक लेखांकन लेखों) के आधार पर वर्ष 2014–15 की निष्पादन मूलयांकन रिपोर्ट तथा गैर–वित्तीय मापदंडों की उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड के अनुमोदन के बाद तथा उनके प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से वर्ष 2014–15 की 31 अगस्त, 2015 की लक्ष्य तारीख के भीतर और वर्ष 2015–16 की 31 अगस्त, 2016 की लक्ष्य तारीख के भीतर लोक उद्यम विभाग तथा कार्यबल के सदस्यों को अलग–अलग समय से प्रस्तुत करने चाहिए।

6.4 एम ओ यू स्कोर तथा रेटिंग : *एम ओ यू स्कोर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के निष्पादन का सूचक है, जिसकी गणना 5–प्वाइंट स्केल के आधार पर 'लक्ष्यों' की तुलना में समस्त "वास्तविक उपलब्धियों" के योग के अनुसार की जाएगी।*

एम ओ यू संयुक्त स्कोर के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ग्रेडिंग की प्रणाली निम्नानुसार है :

एम ओ यू संयुक्त स्कोर	रेटिंग
87.5 से 100	उत्कृष्ट
87.5 से कम – 67.5	बहुत अच्छा
67.5 से कम – 37.5	अच्छा
37.5 से कम – 12.5	संतोषजनक
12.5 से कम	घटिया

7. एम ओ यू उत्कृष्टता पुरस्कार

7.1 एम ओ यू उत्कृष्टता पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है (10 सिंडीकेट समूहों मे प्रत्येक से 1, सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से 1, रुग्ण/ घाटा उठा रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में से बारी–बारी से 1)। सभी अन्य 'उत्कृष्ट' निष्पादन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को एम ओ यू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिलते हैं।

7.2 डी. पी. ई. ने 20 अगस्त, 2007 को का. ज्ञा. सं. 3 (13)/2006 – डी. पी. ई. (एम ओ यू) के द्वारा एम ओ यू निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया तथा प्रत्येक सिंडीकेट से उत्कृष्टता पुरस्कार पाने वालों का चयन करने के सिद्धांतों की प्रक्रिया जारी की है और दिनांक 7 जनवरी, 2008 से का. ज्ञा. सं. 3 (29)/2007 – डी. पी. ई. (एम ओ यू) तथा दिनांक 11.11.2013 के का. ज्ञा. सं. 3 (29)/2007 – डी. पी. ई. (एम ओ यू) के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए "श्रेष्ठ सूचीबद्ध" और श्रेष्ठ "रुग्ण/ घाटा उठाने वाले सी. पी. एस. ई. को बारी–बारी से" चयन करने के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति जारी की है।

8. अनुबंधों की सूची

अनुबंध - **I** : वित्तीय मापदंडों की परिभाषाएं

अनुबंध - **II** : "धारा 25 के सी. पी. एस. ई.", "रुग्ण/ घाटा उठाने वाले सी. पी. एस. ई." और "निर्माणाधीन सी. पी. एस. ई." के अलावा सी. पी. एस. ई. के लिए एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र।

अनुबंध - **III** : धारा 25 के सी. पी. एस. ई. के लिए एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र।

अनुबंध - **IV** : रुग्ण और धारा उठाने वाले सी. पी. एस. ई. को एम ओ यू मूल्यांकन प्रपत्र।

अनुबंध - **V** : निर्माणाधीन सी. पी. एस. ई. का मूल्यांकन प्रपत्र।

अनुबंध -**VI** क : अगले 2 वर्षों के अनुमानों सहित विगत 5 वर्षों के वित्तीय मापदंडों पर सी. पी. एस. ई. के निष्पादन की प्रवृत्ति।

अनुबंध -**VI** ख : अगले 2 वर्षों की संभावित उपलब्धियों सहित विगत 2 वर्षों के गैर–वित्तीय मापदंडों के निष्पादन की प्रवृत्ति।

अनुबंध - **VII** : सी. पी. एस. ई. के द्वारा स्व–घोषणा/ प्रमाणन।

अनुबंध - : **VIII** सरकार के निर्देशों और नियामकों का अनुपालन करने के लिए स्व–घोषणा।

अनुबंध - **IX** : उन सी. पी. एस. ई. की सूची जिनके लिए आर एंड डी अनिवार्य मापदंड है।

अनुबंध - ***I***

वित्तीय एवं लेखा शब्दों की परिभाषा

1. बिक्री कारोबार : 'बिक्री कारोबार' को वस्तुओं की बिक्री से तथा सेवाएं प्रदान करने से किसी उद्यम को साधारण कार्यकलापों से नकद का सकल अंतर्वाह, प्राप्तियों अथवा अन्य प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए आपूर्ति की गई वस्तुओं और उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिए गए प्रभारों से इसे मापा जाता है। किसी एजेंसी के संबंध में यह कमीशन की राशि होती है और न कि नकद का सकल अंतर्वाह, प्राप्तियों अथवा अन्य प्रतिफल होता है। ठेकेदारों के मामले में एएस 7 (संशोधित 2002) की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में राजस्व के रूप में स्वीकार किए ठेके राजस्व की राशि को 'बिक्री कारोबार' के रूप में माना जाता है।

यह भी नोट किया जाए कि 'बिक्री कारोबार' में अन्य की ओर से कंपनी के द्वारा एकत्रित की गई राशियां जैसे बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, आदि शामिल नहीं होती हैं अपितु उत्पाद शुल्क के संघटक शामिल होते हैं। साथ ही, अंतः विभागीय अंतरण भी बिक्री कारोबार का भाग नहीं होंगे।

नोट : लोक उद्यम विभाग (डी. पी. ई.) के प्रयोजन के लिए 'बिक्री कारोबार' मापदंड के तहत समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) लक्ष्य का निर्णय करने हेतु इसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं होंगे।

2. सकल प्रचालन मार्जिन : 'सकल प्रचालन मार्जिन', प्रशासन, बिक्री, वितरण, वित्तीय खर्चों तथा करों को ध्यान में रखने से पूर्व वस्तुओं और सेवाओं की लागत की तुलना में एक अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं और बेची गई वस्तुओं के लाभ की अधिक राशि होता है। जब इस संगणना का परिणाम नकारात्मक हो, तब इसका 'सकल हानि' के रूप में उल्लेख किया जाता है।

3. सकल प्रचालन मार्जिन दर : बिक्री कारोबार की प्रतिशतता के रूप में सकल प्रचालन मार्जिन।

4. कर के बाद लाभ (पी ए टी) : मूल्यह्रास सहित, कुल खर्चों की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता और ऋण चुकाने, ब्याज, असाधारण मदों, पूर्व अवधि मदें तथा कर (आस्थगित करों सहित)।

5. ई. बी. आई. टी. डी. ए. : मूल्यह्रास और ऋण चुकाने, च्णों पर ब्याज, करों (आस्थगित करों सहित) असाधारण और पूर्व अवधि मदों के लिए प्रावधान करने से पूर्व एक अवधि के लिए कुल खर्चों की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता ई. बी. आई. टी. डी. ए. है।

6. ब्याज कर पूर्व आय (ई. बी. आई. टी.) : ब्याज, कर (आस्थगित करों सहित) असाधारण मदों तथा पूर्व अवधि मदों के लिए व्यवस्था करने से पूर्व कुल व्यय की तुलना में कुल राजस्व की अधिकता।

7. प्रचालनों से नकद का सृजन : प्रचालनों से नकद प्रवाह मुख्य रूप से उद्यम के मूल राजस्व पैदा करने वाले कार्यकलापों से होता है। लेखांकन मानक (ए एस) 3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नकद प्रवाह विवरणों, प्रचालन संबंधी नकद प्रवाह की गणना निम्नलिखित के लिए कर के बाद लाभ (पी. ए. टी.) को समायोजित करके की जाए :

(i) माल–सूचियों और प्रचालन प्राप्तियों तथा देयताओं में अवधि के दौरान परिवर्तन।

(ii) मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित करों जेसे नॉन–कैश मदें और वसूल न किए गए विदेशी मुद्रा लाभ और हानियां; और

(iii) सभी अन्य मदें जिनके लिए नकद माल का निवेश हो रहा है अथवा नकद प्रवाह की वित्त व्यवस्था की जा रही है।

8. सकल ब्लॉक : स्थिर परिसंपत्तियों का सकल ब्लॉक लेखा पुस्तकों अथवा वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत अथवा ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि (अर्थात पुनः निर्धारित राशियों) को दर्शाता है।

9. मूल्यह्रास, किसी परिसंपत्ति की टूट–फूट होने, उपयोग करने अथवा मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की कीमत की अन्य हानि, प्रौद्योगिक और बाजार में बदलाव होने से समय बीतने अथवा अप्रचालित होने का एक माप है। मूल्यह्रास इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिससे परिसंपत्ति के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान प्रत्येक लेखा अवधि में मूल्यह्रास योग्य राशि उचित अनुपात में ली जा सके। जिन अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन पहले से ही निर्धारित हो, उनके ऋण को चुकाना मूल्यह्रास में शामिल होता है।

10. निवल ब्लॉक : संचित मूल्यह्रास और क्षति हानि के निवल दर्शाया सकल ब्लॉक 'निवल ब्लॉक' कहा जाता है।

11. शेयर पूंजी : प्रदत्त पूंजी किसी कारपोरेट उद्यम के शेयरों और/ अथवा स्टॉक के लिए भुगतान की गई अथवा जमा की गई कुल धनराशि होती है।

12. रिजर्व और अधिशेष :

रिजर्व : परिसंपत्तियों की कीमत में मूल्यह्रास अथवा न्यूनीकरण के लिए अथवा किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान के अलावा सामान्य अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लए किसी उद्यम की आय, प्राप्तियों अथवा अन्य अधिशेष का भाग (चाहे पूंजी अथवा राजस्व हो) विनियोजित किया हो।

अधिशेष : लाभांश, बोनस शेयर और रिजर्व को/ से अंतरण के निर्धारण की घोषणा और विनियोजन करते हुए लाभ और हानि विवरण में अधिशेष अर्थात शेष।

13. निवल मूल्य : निवल मूल्य से अभिप्रायः लेखा–परीक्षा किए गए तुलन पत्र के अनुसार संचित हानियों, आस्थगित व्यय और बट्टे खाते न डाले गए विविध व्यय का कुल मूल्य घटाने के बाद प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ एवं प्रतिभूति प्रीमियम, लेखे में से सृजित समस्त रिजर्व और प्रदत्त शेयर पूंजी के कुल मूल्य से है, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनः निर्धारण से सृजित रिजर्व, मूल्यह्रास को बट्टे खाते डालने और समामेलन शामिल नहीं होता है। इस प्रयोजन के लिए रिजर्व से अभिप्राय रिजर्व और अधिशेष से है।

14. माल सूचियां परिसंपत्तियां होती हैं जो :

(i) कारोबार की सामान्य अवधि में बिक्री के लिए रखी है।

(ii) ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में हों।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया में अथवा सेवाएं प्रदान करने में उपभोग की जाने वाली सामग्रियों अथवा आपूर्तियों के रूप में हों।

15. नियोजित पूंजी : नियोजित पूंजी में निवल मूल्य और दीर्घकालिक ऋण शामिल होंगे लेकिन पूंजीगत कार्य प्रगति पर तथा किए गए समस्त निवेश शामिल नहीं होंगे। तथापि, आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) नियोजित पूंजी का भाग नहीं बनेंगी।

16. असाधारण मदें ऐसी आय अथवा व्यय होती हैं जो उन गतिविधियों अथवा सौदों से होती हैं और जो उद्यम के साधारण कार्यकलापों से स्पष्टतः भिन्न होती हैं और इसलिए इनके बारंबार अथवा नियमित रूप से करने की उम्मीद नहीं होती है।

17. पूर्व अवधि मदें आय और व्यय होती हैं, जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई त्रुटियों अथवा चूक के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में होती हैं।

18. चल पूंजी : किसी उद्यम के दिन–प्रतिदिन के कार्य करने के लिए उपलब्ध निधियां और वर्तमान देयताओं की तुलना में वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिकता से दिखती है।

19. व्यापार प्राप्य : व्यापार की सामान्य अवधि में बेची हुई वस्तुओं अथवा दी गई सेवाओं से हुई देयताएं ही।

20. नियोजित औसत पूंजी : एक समय अवधि के लिए नियोजित प्रारंभिक और अंतिम पूंजी का औसत।

नियोजित औसत पूंजी = (नियोजित आरंभिक पूंजी + नियोजित अंतिम पूजी)/2

21. उत्पादन की लागत/ परिवर्तन लागत : कच्चे माल अथवा संघटकों को तैयार अथवा अर्ध–तैयार उत्पादों में बदलने के लिए की गई लागत। इसमें सामान्यतः वे लागतें शामिल होती है, जिनसे विशेष रूप से उत्पादन होता है अर्थात प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय और उप संविदात्मक कार्य और उत्पादन संबंधी ऊपरी खर्च जो लागत पद्धति को समावेशन करने के अनुसार यथा लागू है। उत्पादन संबंधी ऊपरी खर्चों में वे व्यय शामिल नहीं होते हैं, जो सामान्य प्रशासन, वित्त, बिक्री और उत्पादन से संबंधित होते हैं।

22. वर्तमान अनुपात : यह वर्तमान परिसंपत्तियों का वर्तमान देयताओं का अनुपात होता है।

वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्ति/ वर्तमान देयताएं

23. ऋण सेवा कवरेज अनुपात : ब्याज और करों से पूर्व आय का दीर्घकालिक देयताओं पर ब्याज का अनुपात

24. माूल सूची के दिनों की औसत संख्या :

माल सूची के दिनों की औसत संख्या = 365/ माल सूची कारोबार अनुपात

जहां पर, मालू सूची कारोबार अनुपात = बेची गई वस्तुओं की लागत/ औसत माल सूची

विनिर्माण प्रचालन में बेची गई वस्तुओं की लागत में (i) सामग्री की लागत; (ii) श्रम और (iii) फैक्टरी के ऊपरी खर्च शामिल होते हैं; विक्रय और प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं होते हैं।

औसत माल सूची = (आरंभिक माल सूचियां + अंतिम माल सूचियां)/ 2

नोट : जिन मामलों में, जहां पर माल सूची का आरंभिक शेष शून्य है, वहां पर अंतिम शेष का माल सूची कारोबार की गणना करने के लिए उपयोग किया जाए।

25. व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली अवधि :

व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली अवधि = 365 × औसत व्यापार प्राप्य / निवल क्रेडिट बिक्री

जहां पर, औसत व्यापार प्राप्य = (आरंभिक व्यापार प्राप्य + अंतिम व्यापार प्राप्य) / 2.

नोट : जिन मामलों में, जहां पर व्यापार प्राप्यों का आरंभिक शेष शून्य हो, वहां पर अंतिम शेष का व्यापार प्राप्य अवधि की गणना करने के लिए उपयोग किया जाए।

26. चूल पूंजी कारोबार अनुपात :

चल पूंजी कारोबार = बिक्री कारोबार / चल पूंजी

27. वर्तमान परिसंपत्तिरयां : एक परिसंपत्ति को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी मानदंड को पूरा करती है।

(क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल किए जाने की उम्मीद है अथवा बिक्री अथवा उपभोग के लिए हो;

(ख) इसे व्यापार किए जा रहे प्रयोजन के लिए मुख्यत रखा हो;

(ग) इससे रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर वसूली किए जाने की उम्मीद हो;

(घ) यह नकद अथवा नकद के समकक्ष हो, जब तक यह रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का निपटारा करने के लिए विनिमय अथवा उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

28. वर्तमान देयताएं : एक देयता को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी मानदंड को पूरा करता हो।

(क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटारा किए जाने की इससे उम्मीद हो;

(ख) इसको व्यापार किए जा रहे प्रयोजन के लिए मुख्यतः रखा हो;

(ग) इससे रिपोर्टिंग की तारीख के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान किए जाने के लिए देय हो;

(घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के भुगतान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर इक्विटी जारी करके उसके भुगतान में परिणामी हो सकती है, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

सभी अन्य देयताओं को नॉन करेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अनुबंध - ***II***

एम. ओ. यू. मूल्यांकन प्रपत्र (धारा 25 के सी. पी. एस. ई., रुग्ण और घाटे वाले सी. पी. एस. ई. तथा निर्माणाधीन सी. पी. एस. ई. को छोड़कर सभी सी. पी. एस. ई. के लिए समान)

मूल्यांकन मापदंड		इकाई	महत्व (% में)	एम. ओ. यू. लक्ष्य					दस्तावेजी प्रमण और स्रोत / दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	निराशाजनक (1)	
1. स्थिर / वित्तीय मापदंड *अनिवार्य मापदंड (क्र. सं.* ***(i) - (iii)***									
(i)	विकास / आकार / कार्यकलाप (दो)		18–24						
क)	ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बिक्री कारोबार (प्रचालन कारोबार) (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क	रु. करोड़							

	वैट अथवा अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा)।								
ख)	सकल प्रचालन मार्जिन अथवा सकल प्रचालन मार्जिन दर	रु. करोड़ प्रतिशत							
ग)	स्वीकृत ऋण	रु. करोड़							
घ)	वितरण	रु. करोड़							
(ii)	*लाभप्रदता*		10–12						
क)	पी. ए. टी./ निवल मूल्य	प्रतिशत							
ख)	ई. बी. आई. टी. डी. ए./ निवल ब्लॉक*	प्रतिशत							
ग)	ई. बी. आई. टी./ नियोजित औसत पूंजी	प्रतिशत							
(iii)	*लागत एवं उत्पादन दक्षता*		8–10						
क)	बिक्री कारोबार/ निवल ब्लॉक								
ख)	प्रति कर्मचारी पी. ए. टी.								
*वैकल्पिक मापदंड (क्र. सं. **(iv)** और **(v)***			8–10						
(iv)	*लिक्विडिटी/ लेवरेज*								
क)	वर्तमान अनुपात	अनुपात							
ख)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	अनुपात							
(v)	*परिसंपत्ति उपयोग की दक्षता*		6–8						
क)	माल सूची के औसत दिनों की संख्या (माल सूची कारोबार अनुपात	दिनों की संख्या							
ख)	व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली अवधि (कर्जदारों का कारोबार अनुपात)	दिनों की संख्या							
ग)	एन. पी. ए./ ऋण परिसंपत्तियां	प्रतिशत							
घ)	निधियों की औसत लागत अथवा बढ़ायी गई ब्याज दर	मूल्य मूल्य							
उप जोड़ **1 (I** से **V)**			50						

नोट : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (अनिवार्य और वैकल्पिक ग्रुप से) कुल 6 वित्तीय अनुपातों तक चयन कर सकते हैं। क्र. सं. (i) से 2 अनुपात अनिवार्य हैं ओर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शेष दो अनिवार्य ग्रुपों में से न्यूनतम एक अनुपात का चयन करेंगे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से कार्य बल बदलने के कारण रिकार्ड करने के बाद अनुपातों और उनके महतव को (50 में से) बदल सकते हैं।

मूल्यांकन मापदंड		इकाई	वजन (**%** में)	एम. ओ. यू. लक्ष्य					दस्तावेजी प्रमण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	निराशाजनक (1)	
2. गतिशील/ गैर–वित्तीय मापदंड									
(i)	*कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता*		3 तक						
(ii)	*अनुसंधान और विकास*		3						
(iii)	*विकास के लिए पहल*		10–15						
क)	भौतिक लक्ष्य/ उत्पादन *अथवा* नए ऑर्डरों/ परियोजनाओं की संख्या								
ख)	कारपोरेट/ रणनीतिक योजना – उद्देश्यों/ लक्ष्यों की तैयारी/ निर्धारण/ पहचान								
ग)	विस्तार/ विविधता/ अधिग्रहण/ संयुक्त उद्यम								
घ)	ब्राण्ड निर्माण/ विपणन पहल/ नए उत्पाद/ नए बाजार								
ङ)	आयात प्रतिस्थापन/ निर्यात/ प्रचालनों का वैश्वीकरण								
च)	जोखिम की पहचान और न्यूनीकरण								
छ)	निर्यात संवर्धन								
(iv)	*परियोजना प्रबंध और कार्यान्वयन*		10–15						

क)	क्षमता अभिवृद्धि								
ख)	वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली नई/ जारी परियोजनाओं की संख्या								
ग)	जो परियोजनाएं वर्ष के दौरान पूरी नहीं की जा सकती हैं उन नई/ जारी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य								
घ)	सी. ए. पी. ई एक्स (सी. डब्ल्यू. आई. पी. / निर्माणाधीन परिसंपत्तियों में से वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय संदर्भों में लक्ष्य)								
(v)	*उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएं*		7–10						
क)	परिसंपत्ति/ मशीन/ सुविधा उपयोग/ डाउनटाइम								
ख)	उत्पाद विनिर्माण/ उत्पाद चक्र समय								
ग)	जनशक्ति/ संसाधनों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय								
घ)	बैंचमार्किंग के प्रति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की बैंचमार्किंग और निर्धारण								
ङ)	बाजार शेयर								
च)	ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक की शिकायतों का निवारण								
छ)	ग्राहक फोकस – ग्राहक संतुष्टि सूचकांक और बिक्री की प्रति यूनिट शिकायतें।								
(vi)	*प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन कार्य*		5–10						
क)	नई प्रौद्योगिकियां/ उन्नत मौजूदा/ अन्य नवीन कार्य								
ख)	बौद्धिक संपदा – पेटेंट, व्यापार चिन्ह, कापीराइट								
ग)	गुणवत्ता प्रबंध – टी. क्यू. एम. जैसी पद्धतियां, सिक्स सिगमा और आई. एस. ओ., बाल्ड्रिज निष्पादन उत्कृष्टता मानदंड आदि								
घ)	सुरक्षा प्रबंध – सुरक्षा दुर्घटना सूचकांक, सूचना योग्य दुर्घटनाएं								
ङ)	साइबर सुरक्षा – सुरक्षा सिस्टमों का विकास/ स्थापना करना, साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की मानीटरिंग और उनका पता लगाना।		5–10						
(vii)	*मानव संसाधन प्रबंध*		8 तक						
3.	*क्षेत्र विशिष्ट मापदंड/ उद्यम विशिष्ट मापदंड*								
उप जोड़ **(2 + 3)**			50						
उप जोड़ **(1+ 2 + 3)**			100						

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम गतिशील/ गैर–वित्तीय मापदंडों में से 8 मापदंडों का चयन कर सकते हैं। तथापि, सी. पी. एस. ई. एक मापदंड में से 3 उप मापदंड ले सकते हैं, परंतु उनमें से कोई भी 1 अंक से कम का नहीं होना चाहिए। कार्य बल मापदंडों और उनके महत्व को बदलने के कारण देते हुए सी. पी. एस. ई. और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग से परामर्श करने के बाद उनमें परिवर्तन/ संशोधन इस प्रकार कर सकते हैं कि गैर–वित्तीय मापदंड का कुल महत्व 50 से अधिक न हो। सी. एस. आर. और संपोषणीयता, आर एवं डी तथा एच. आर. एम. के मापदंडों का संबंधित डी. पी. ई. दिशा–निर्देशों और इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार चयन करना होगा।

नोट : सभी मापदंडों के संबंध में सत्यापन के साधनों (दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजों के स्रोत्र/ उद्गम) को मसौदा एम. ओ. यू. में ही सी. पी.एस. ई. के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

अनुबंध - ***III***

'कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों' के लिए एम. ओ. यू. मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन मापदंड		इकाई	महत्व (**%** में)	एम. ओ. यू. लक्ष्य					दस्तावेजी प्रमण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	निराशाजनक (1)	
1.	स्थिर/ वित्तीय मापदंड (40) अनिवार्य मापदंड		24						
(i)	ई. बी. आई. टी. डी. ए. (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण चुकाने से पूर्व आय)								
(ii)	वितरण (स्कीम–वार)								
(iii)	1 वर्ष से अधिक के लिए बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां								
(iv)	सकल बिक्रियां वैकल्पिक मापदंड		16						
(v)	सरकार के सहायता अनुदान के अलावा अन्य साधनों से गतिशील कुल संसाधनों की प्रतिशतता								
(vi)	बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूली (वर्तमान वर्ष)								
(vii)	गैर निष्पादन वाली परिसंपत्तियों में प्रतिशतता कमी वर्षवार ब्यौरा								
(viii)	अधिशेष/ नियोजित पूंजी								
(ix)	मूल्य संवर्धित/ कुल रोजगार								
(x)	पी. ए. टी./ निवल मूल्य								
उप जोड़			40						
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा अनिवार्य मापदंडों में न्यूनतम 2 वित्तीय अनुपातों तथा वैकल्पिक मापदंडों से 4 अनुपातों का चयन करना चाहिए लेकिन वित्तीय मापदंडों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।									
2.	गतिशील मापदंड								
(i)	वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या (स्कीम वार)								
(ii)	निरीक्षण के दौरान पाए गए ऐसे लाभग्रहियों की प्रतिशतता जिन्होंने आशयित प्रयोजन के लिए/ नए उत्पाद शुरू करने/ हस्ताक्षरित नए प्रौद्योगिकी करार/ क्षमता उपयोग हेतु सहायता उपयोग किया।		50 (i - xiv)						
(iii)	रणनीतिक योजना – तैयार करना/ कार्यान्वयन								
(iv)	स्थापित संस्थानों के द्वारा प्रदान किए कौशल/ उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लक्षित समूहों की संख्या, जिससे उन्हें रोजगार/पुनर्वास प्राप्त करने में सहायता मिली ।								
(v)	आई. टी. पहल/ ऋण के लेखांकन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम का कार्यान्वयन तथा वेबसाइट पर लाभग्राहियों के आंकड़े अपलोड करना।								
(vi)	अन्य सरकारी विभागों अथवा स्थापित संस्थानों की स्कीमों के तहत सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या								
(vii)	लाभग्राहियों को प्रशिक्षण देने के लिए								

	नए (मौजूदा के अतिरिक्त) व्यावसायिक संस्थानों के साथ साझेदारी								
(viii)	निगम के उद्देश्यों/ स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए नए (मौजूदा के अतिरिक्त) सरकारी विभागों/ स्थापित संस्थानों के साथ साझेदारी।								
(ix)	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी दिशा निर्देशों का पैरा 4.3.9 देखें)/ नवीन विचारों को लागू करना								
(x)	महिला लाभग्राहियों की संख्या								
(xi)	भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में अलग–अलग स्कीमों के तहत लाभग्राहियों की संख्या								
(xii)	क्षमता निर्माण/ अवसंरचना विकास								
(xiii)	विपणन संबंधी प्रयास/ आयोजित जागरूकता कैंप								
(xiv)	मानव संसाधन प्रबंध (एच. आर. एम.)								
3.	क्षेत्र विशिष्ट मापदंड/ उद्यम विशिष्ट मापदंड अर्थात निर्यात संवर्धन कार्यकलाप, ग्राहक संतुष्टि/ सेवा डिलीवरी आदि		10						
उप जोड़ (2 + 3)			60						
जोड़ (1+ 2 + 3)			100						

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम क्षेत्र/ उद्यम विशिष्ट मापदंडों सहित 10 गतिशील मापदंडों का चयन कर सकते हैं। जहां तक संभव हो, एम. ओ. यू. के लिए चयन किए गए वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों मापदंडों की कुल संख्या 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट : कार्य बल मापदंडों में तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा चुने गए गतिशील मापदंडों के महत्व के निर्धारण में सी. पी. एस. ई. और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के साथ परामर्श करके परिवर्तन/ संशोधन इस प्रकार कर सकता है कि कुल संख्या 60 से अधिक न हो। सभी मापदंडों के संबंध में सत्यापन के साधनों (दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजों के स्रोत्र/ उद्गम) को मसौदा एम. ओ. यू. में ही सी. पी.एस. ई. के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

अनुबंध - ***IV***

'रुग्ण/ घाटे वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों' के लिए एम. ओ. यू. मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन मापदंड		इकाई	महत्व (**%** में)	एम. ओ. यू. लक्ष्य					दस्तावेजी प्रमण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	निराशाजनक (1)	
1. स्थिर/ वित्तीय मापदंड									
(i)	ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बिक्री कारोबार (प्रचालन कारोबार) (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क वैट अथवा अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा)।	रु. करोड़	8						
(ii)	सकल प्रचालन मार्जिन अथवा सकल प्रचालन मार्जिन दर	रु. करोड़ प्रतिशत	8						
(iii)	निवल लाभ	रु. करोड़	5						
(iv)	निवल मूल्य	रु. करोड़	5						
(v)	प्रचालन ने नकद सृजन	रु. करोड़	5						
(vi)	चल पूंजी, कारोबार अनुपात	अनुपात	3						
(vii)	माल सूची के औसत दिनों की संख्या (माल सूची कारोबार अनुपात	दिनों की संख्या	3						
(viii)	व्यापार प्राप्यों की औसत वसूली अवधि (कर्जदारों का कारोबार अनुपात)	दिनों की संख्या	3						
उप जोड़ **1 (i** से **iii)**			40						
2.	गतिशील मापदंड								
(i)	भौतिक लक्ष्य/ उत्पादन अथवा नए ऑर्डरों/ परियोजनाओं की संख्या								
(ii)	ग्राहक संतुष्टि								
(iii)	परियोजना का कार्यान्वयन		30–45						
(iv)	प्रौद्योगिक उन्नयन								
(v)	कारोबार/ पुनरुद्धार योजना तैयार/ कार्यान्वयन करना (जो भी मामला हो)								
(vi)	गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों से निधियों का सृजन								
(vii)	कंपनी के पास उपलब्ध संसाधनों से राजस्व का सृजन								
(viii)	मानव संसाधन प्रबंध (एच. आर. एम.)		25–45						
(ix)	आर एंड डी गुणवत्ता सुधार, ऊर्जा दक्षता, लागत में कमी, नए उत्पादों का विकास, उत्पाद और प्रक्रियाओं में सुधार (आर एंड डी दिशा–निर्देशों का 4.3.9 देखें)								
(x)	सी. एस. आर. और संतोषणीयता								
3.	क्षेत्र विशिष्ट मापदंड/ उद्यम विशिष्ट मापदंड		5						
उप जोड़ (2 + 3)			60						
जोड़ (1+ 2 + 3)			100						

नोट : कार्य बल मापदंडों में तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा चुने गए गतिशील मापदंडों के महत्व के निर्धारण में सी. पी. एस. ई. और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के साथ परामर्श करके परिवर्तन/ संशोधन इस प्रकार कर सकता है कि कुल संख्या 60 से अधिक न हो। सभी मापदंडों के संबंध में सत्यापन के साधनों (दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजों के स्रोत्र/ उद्गम) को मसौदा एम. ओ. यू. में ही सी. पी.एस. ई. के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

अनुबंध - ***V***

'निर्माणाधीन सी. पी. एस. ई.' के लिए एम. ओ. यू. मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन मापदंड		इकाई	महत्व (**%** में)	एम. ओ. यू. लक्ष्य					दस्तावेजी प्रमण और स्रोत/ दस्तावेजों का उद्गम
				उत्कृष्ट (5)	बहुत अच्छा (4)	अच्छा (3)	साधारण (2)	निराशाजनक (1)	
1. परियोजना संबंधी मापदंड									
(i)	भौतिक उपलब्धि	प्रतिशत							
(ii)	वित्तीय उपलब्धि	रु. करोड़							
(iii)	नियामक स्वीकृतियां								
(iv)	परियोजना का कार्यान्वयन								
2.	गतिशील मापदंड								
(i)	कारपोरेट योजना/ विजन		40						
(ii)	कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता								
(iii)	मानव संसाधन प्रबंध (एच. आर. एम.)								
(iv)	अनुसंधान और विकास								
उप जोड़ (**i** से **v**)			60						
3. क्षेत्र विशिष्ट चर/उद्यम विशिष्ट चर									
उप जोड़ (**i** + 2 + 3)									

नोट : कार्य वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदंडों को बदलने/ संशोधन करने के कारणों को रिकार्ड करने के बाद सी. पी. एस. ई. और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के साथ परामर्श करके उन्हें इस तरह से बदल/ संशोधित कर सकता है कि वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदंडों का महत्व क्रमशः 60 और 40 से अधिक न हो।

सभी मापदंडों के संबंध में सत्यापन के साधनों (दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजों के स्रोत्र/ उद्गम) को मसौदा एम. ओ. यू. में ही सी. पी.एस. ई. के द्वारा विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

*अनुबंध – **VI** – क*

(रु. करोड़ में)

अगले 2 वर्षों के अनुमानों के साथ–साथ गत 4 वर्षों के वित्तीय मापदंडों पर सी. पी. एस. ई. के निष्पादन की प्रवृत्ति

विवरण	2010–11			2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	2016–17	2017–18	उपलब्ध अद्यतन बैंचमार्किंग ब्यौरा
	एमओयू	एसी	एमओयू	एसी	एमओयू	एसी	एमओयू	एसी	एमओयू	एमओयू	31.03.15 के लिए अनुमानित	अनुमानित	अनुमानित	अनुमानित	
क्षमता उपयोग (प्रत्येक संयंत्र के लिए अलग–अलग)															
उत्पादन (मात्रा में)															
उत्पादन (करोड़ रु. में)															
लाभ और हानि विवरण															
मदें															
ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बिक्री कारोबार, (प्रचालन, कारोबार) (बिक्री कारोबार में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट अथवा कोई अन्य शुल्क, कर आदि शामिल नहीं होगा)															
ब्याज और अन्य आय															
सकल प्रचालन मार्जिन दर (प्रतिशत)															
सकल प्रचालन मार्जिन															
ई. बी. आई. टी. डी. ए. (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण चुकाने से पूर्व आय)															
मूल्यह्रास															
ई. बी. आई. टी. (ब्याज ओर कर पूर्व आय)															
ब्याज व्यय															
पूर्व अवधि व्यय															
असाधारण मदें															
कोई अन्य आय															
कर पूर्व लाभ															
कर															
कर के बाद															

लाभ									
प्रदत्त लाभांश									
सांविधिक रिजर्व के लिए अंतरित लाभ									
कोई अन्य मद									
तुलन पत्र में अंतरित लाभ									
तुलन पत्र की मदें									
सकल ब्लॉक									
कमी : मूल्यह्रास									
निवल ब्लॉक									
सी. पी. एस. ई. की शेयर पूंजी									
सी. पी. एस. ई. का रिजर्व और अधिशेष									
कमी : आस्थगित राजस्व व्यय/ अधिग्रहण पूर्व हानि									
कमी : लाभ और हानि लेखा (हानि संबंधी आंकड़े)									
सी. पी. एस. ई. का निवल मूल्य									
निवेश									
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां									
कुल वर्तमान देयताएं									
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां									
नियोजित पूंजी (निवल ब्लॉक + निवल वर्तमान परिसंपत्तियां)									
कुल दीर्घकालिक ऋण (ऋण निधियां)									
कुल परिसंपत्तियां									
सी. पी. एस. ई. के कर्मचारियों की संख्या									
अनुपात									
पी. ए. टी./ निवल मूल्य									
ई. बी. आई टी. डी. ए/ निवल ब्लॉक									
ई. बी. आई टी. / नियोजित औसत पूंजी									
प्रति कर्मचारी									

पी. ए. टी. (लाख रु.)									
वर्तमान अनुपात									
ऋण सेवा कवरेज अनुपात									
प्रचालन नकद प्रवाह									
माल सूची के औसत दिनों की संख्या									
माल सूची कारोबार अनुपात									
स्वीकृत ऋण									
वितरण									
एन. पी. ए./ ऋण परिसंपत्ति निधियों की औसत लागत									
कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत बढ़ोत्तरी									
विवरण									
सरकार की सहायता अनुदान के अलावा अन्य स्रोतों से गतिशील कुल संसधनों का प्रतिशत									
ई. बी. आई. टी. ए./ कुल रोजगार									
बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में वसूलियां (वर्तमान वर्ष)									
विभिन्न वर्षों के लिए बकाया राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूलियां (संचित)									
'रुग्ण/ घाटे वाले सी. पी. एस. ई.' के लिए बढ़ोत्तरी									
वास्तविक उपलब्धि									
वित्तीय उपलब्धि									

नोट : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा ऊपर बताए अनुसार समस्त सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, जहां कहीं उनके लिए लागू हो।

अनुकूल कार्यवाही	नई इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11 के तिलए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के तिलए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के तिलए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के तिलए वास्तविक मूल्य	एम. ओ. यू. लक्ष्य 14/15	31.03.15 का अनुमान	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 16/17 के लिए परियोजना मूल्य	वित्तीय वर्ष 17/18 के लिए अनुमानित मूल्य
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता										
अनुसंधान और विकास										
विकास के लिए पहल										
भौतिक लक्ष्य/ उत्पादन *अथवा* नए ऑर्डरों/ परियोजनाओं की संख्या										
	कारपोरेट/ रणनीतिक योजना – उद्देश्यों/ लक्ष्यों की तैयारी/ निर्धारण/ पहचान									
	विस्तार/ विविधता/ अधिग्रहण/ संयुक्त उद्यम									
	ब्राण्ड निर्माण/ विपणन पहल/ नए उत्पाद/ नए बाजार									
	आयात प्रतिस्थापन/ निर्यात/ प्रचालनों का वैश्वीकरण									
	जोखिम की पहचान और न्यूनीकरण									
परियोजना प्रबंध और कार्यान्वयन										
	क्षमता अभिवृद्धि									
	वर्ष के दौरान पूरी की जाने वाली नई/ जारी परियोजनाओं की संख्या									
	जो परियोजनाएं वर्ष के दौरान पूरी नहीं की जा सकती हैं उन नई/ जारी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य									
	सी. ए. पी. ई एक्स (सी. डब्ल्यू. आई. पी./ निर्माणाधीन परिसंपत्तियों में से वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय संदर्भों में लक्ष्य)									
उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएं										
	परिसंपत्ति/ मशीन/ सुविधा उपयोग/									

	डाउनटाइम									
	उत्पाद विनिर्माण/ उत्पाद चक्र समय									
	जनशक्ति/ संसाधनों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय									
	बैंचमार्किंग के प्रति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की बैंचमार्किंग और निर्धारण									
	बाजार शेयर									
	ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक की शिकायतों का निवारण									
	ग्राहक फोकस – ग्राहक संतुष्टि सूचकांक और बिक्री की प्रति यूनिट शिकायतें।									
प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन कार्य										
	नई प्रौद्योगिकियां/ उन्नत मौजूदा/ अन्य नवीन कार्य									
	बौद्धिक संपदा – पेटेंट, व्यापार चिन्ह, कापीराइट									
	गुणवत्ता प्रबंध – टी. क्यू. एम. जैसी पद्धतियां, सिक्स सिगमा और आई. एस. ओ., बाल्ड्रिज निष्पादन उत्कृष्टता मानदंड आदि									
	सुरक्षा प्रबंध – सुरक्षा दुर्घटना सूचकां, सूचना योग्य दुर्घटनाएं									
	साइबर सुरक्षा – सुरक्षा सिस्टमों का विकास/ स्थापना करना, साइबर सुरक्षा उल्लंघनों की मानीटरिंग और उनका पता लगाना।									
मानव संसाधन प्रबंध										
क्षेत्र विशिष्ट मापदंड/ उद्यम विशिष्ट मापदंड										

अनुबंध - ***VII***

सी. पी. एस. ई. के द्वारा स्व–घोषणा/ प्रमाणीकरण

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2015–16 के लिए एम. ओ. यू. दिशा–निर्देशों में निर्धारित मानदंडों और परिभाषाओं को स्वीकार करके वित्तीय मापदंडों के संबंध में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां एम. ओ. यू. दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई हैं। निष्पादन का मूल्यांकन करते समय यदि कोई अंतर पाया जाता है, तो एम. ओ. यू. दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए डी. पी. ई. स्वतंत्र है। सी. पी. एस. ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

अनुबंध - ***VIII***

सरकार के निर्देशों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए स्व–घोषणा

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि सी. पी. एस. ई. ने सरकार के सभी निर्देशों और विनियमों की अपेक्षाओं का पालन किया हैं निष्पादन मूल्यांकन करते समय यदि कोई अंतर पाया जाता है तो सरकार/ नियामकों के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए डी. पी. ई. स्वतंत्र होगा। सी. पी. एस. ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता

क्र. सं.	मंत्रालय	सी. पी. एस. ई. का नाम
1	परमाणु ऊर्जा विभाग	इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड
2		यू. सी. आई. एल.
3		भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
4		न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5	जैव प्रौद्यौगिकी विभाग (डी एंड एस टी)	भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बॉयोलॉजिकल कारपोरेशन लिमिटेड (बी. आई. बी. सी. ओ. एल.)
6		बी. आई. आर. ए. सी.
7	इस्पात मंत्रालय	एम. ओ. आई. एल. लिमिटेड
8		एन. एम. डी. सी.
9		स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10		राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई. एन. एल.)
11	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
12		राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13		नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
14		हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेड
15	खान मंत्रालय	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
16		नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
17	विद्युत मंत्रालय	एन. एच. पी. सी. लिमिटेड
18		एन. टी. पी. सी. लिमिटेड
19		पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
20	पैट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ऑयल इण्डिया लिमिटेड
21		ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड
22		हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
23		इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
24		गेल (इण्डिया) लिमिटेड
25		ई. आई. एल.
26		भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
27	कोयला मंत्रालय	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
28		कोल इण्डिया लिमिटेड
29		सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
30	उर्वरक विभाग	प्रोजेक्ट एण्ड डवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड
31	जहाजरानी मंत्रालय	ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
32		कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
33		शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
34	कृषि मंत्रालय	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
35	रक्षा मंत्रालय	हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड
36		भारत डायनामिक्स लिमिटेड
37		मजगांव डॉक लिमिटेड

38		गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
39		गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
40		हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
41		बी. ई. एल.
42		मिश्र धातु निगम लिमिटेड
43		बी. ई. एम. एल.
44	भारी उद्योग मंत्रालय	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (आर. ई. एल.)
45		बी. एच. ई. एल.
46	भारतीय रेलवे	कोंकड
47		कोंकड रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
48	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कृत्रिम अंग निर्माण निगम
49	शहरी विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 3(0012)/2014–डीपीई (एम. ओ. यू.) दिनांक 07 नवम्बर, .2014)

*****